

श्रीमान जी,

पटवारी रिपोर्ट

ग्राम न्यारां प.म. न्यारां के खाता न. 44, 323, 324 653 में खातेदार डेसरपति अमरचंद जाति गुर्जर शेष अंश यथान्त दर्ज हैं। घाथी/खातेदार के आधार डी जनाधार शपथ पत्र तथा पंचायत अनुशंसा के अनुसार डेसर के स्थान पर अमरी नाम दर्ज है। अतः उक्त खंलन हस्तबिज तथा पंचायत अनुशंसा के अनुसार डेसर के स्थान पर अमरी पाठि अमरचंद जाति गुर्जर किया जाना उचित है।

*(Signature)*  
पटवारी

श्रीमान जी, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, खंलन जगतेंदी, शाफपत तथा शतनासं लम के समक्ष लखवातेदों द्वारा प्रकृत सहमति पत्र के आधार पर खाता नं 44, 323, 324, 653 में खातेदार के अंश अमरी दर्ज कर दुरुस्ती करा जाना उचित है।  
*(Signature)*  
9-10-25

प.ह. की रिपोर्ट व तहसीलदार की रिपोर्ट व ग्र.प्र. की जांच व सहखातेदारों की सहमति व ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर दुरुस्ती करवा जाने की आदेशों की जाती है।  
*(Signature)*

2025  
666

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

9/10/25  
शिविर प्रभारी  
तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद  
दिनांक:- 8-10-25

क्रमांक/373

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत्..... के खाता संख्या ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण		रकबा	स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर		खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	उत्तरण में इन्द्राज के कारण	उत्तरण	दुरुस्ती	खिहद	दी	होन
		उत्तरण	खारिज	खिहद	जाता	है।

क्रमांक:- 5572-73 दिनांक:- 13/10/25

- उत्तरेष्टि ->
1. तहसीलदार नसीराबाद
  2. आदेश पत्रबली।

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद, जिला अजमेर

